न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 07 / 2025	2025 / 71	11.02.2025	08.10.2025

1– मरियम बेवा हुसैना जाति मेव (मृतक)
2– जमीला पुत्री हुसैना जाति मेव (मृतक)
2 / 1– लियाकत पुत्र जमीला
2 / 2– इमरान पुत्र जमीला पुत्र दीनमोहम्मद जाति मेंव हाल निवासी मालब तहसील व जिला नूंह मेंवात हरियाणा।
2 / 3– मुबीना पुत्री जमीला पत्नि रूद्दार जाति मेव हाल निवासी घाटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
2 / 4– रिहाना पुत्री जमीला पत्नि साजिद जाति मेव हाल निवासी लेहरवाडी तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा।
3– एमेना उर्फ मेहताबी पुत्री हुसैना पत्नि यूनूस जाति मेंव निवासी लुहरवाडी तहसील पुन्हाना जिला फरीदाबाद हरियाणा।
4– रसीदन पुत्री हुसैना पत्नि ईसाक जाति मेंव निवासी हसरपुर गुडडी तहसील नूंह जिला नूंह मेवात हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1– मम्मनदीन पुत्र समदू,
2– शकूर पुत्र समदू जाति मेवान निवासीयान ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
5– तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर मुण्डावर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्टान

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल–तिजारा (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर किशनगढबास पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 जिसके द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा न0 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा के 1 / 2 हिस्से की सनद पटटा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के हक में तथा 1 / 2 हिस्से की सनद पटटा अपीलान्ट के हक में जारी किये जाने की बेजा आज्ञा पारित की गयी है, को निरस्त किये जाने बाबत।,

उपस्थित–
01. श्री अब्दूल कलाम — वकील अपीलान्ट
02. ..... — अनुपस्थित

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर किशनगढबास के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 जिसके द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा न0 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा के 1 / 2 हिस्से की सनद पटटा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के हक में तथा 1 / 2 हिस्से की सनद पटटा

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०)

3 तहसीलदार किशनगढ–बास जिला अलवर हाल खरथल तिजारा

:—— रेस्पोडेन्टान

अपीलान्ट के हक में जारी किये जाने का बेजा आज्ञा पारित की गयी है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि साबिक आराजी खसरा न0 12 जिसके हाल खसरा न0 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास बने है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता/पति हुसैना सन 1985 से काफी वर्षो पूर्व से काबिज रहकर काश्त करते थे, हुसैना द्वारा विवादित आराजी जो जंगल पडी थी, उसे अपनी मेहनत मजदूरी करके, शारीरिक श्रम व पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया था, पुराने कब्जे व गरीब व्यक्ति होने के कारण आराजी खसरा न0 साबिक 12 हाल 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा का पटटा दिनाक 27.12.1985 को हुसैना पुत्र मेदा खॉ के हक में जारी किया गया। हुसैना विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलान्टान हुसैना के जीवनकाल में हुसैना के साथ तथा उनके देहावसान के बाद अपीलान्टान स्वंय विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। कागजमाल में हुसैना का नाम खातेदार की हैसियत से बदस्तूर होता रहा है। दिनाक 27.12.1985 को सनद पटटा दिये जाने के वक्त मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गयी उस वक्त मौके पर हुसैना का कब्जा पाया गया, जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है। हुसैना के देहावसान के बाद विरासत का नामान्तकरण मिन अपीलान्टान के हक में दर्ज व मंजूर हो गया अपीलान्टान खातेदार की हैसियत से काबिज है। तहत अदालत द्वारा वर्तमान निर्णय पारित करने से पूर्व भी नायब तहसीलदार किशनगढबास से मौके की रिपोर्ट तलब की गयी थी, रिपोर्ट दिनाक 30.04.2015 में विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। कस्टोडियन भूमि पर कब्जा अहम बिन्दू है, जिस पर तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पोडेन्टान का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है, रेस्पोडेंन्टान आराजी खसरा न0 17 के कुछ हिस्से पर काबिज था। जिसकी सनद पटटा रेस्पोडेन्टान को मिल चुका है। पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा भी अपीलान्टान के पति/पिता हुसैना के पटटे को सही माना गया था। न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष रेस्पोडेन्टान के द्वारा पेश अपील को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकार की गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा अपनी तजबीज में मात्र इस बात पर जोर दिया है, कि जमाबन्दी सम्वत 2012–2019 में रेस्पोडेन्टान के पिता समदू का नाम दर्ज है, जबकि जमाबन्दी सम्वत 2012–2019 में समदू का कभी भी मौके पर कब्जा नही रहा है। कागजात माल में समदू का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण तथा मौके पर कब्जा नही होने के कारण समदू का नाम आगे की जमाबन्दी में दर्ज नही हुआ था। हुसैना को पटटा दिये जाते वक्त भी मौके की पक्की रिपोर्ट ली गयी थी। तथा विधिवत नोटिस जारी किये गये थे, उसके बाद पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर पटटा हुसैना के नाम जारी किया गया था। तहत न्यायालय के समक्ष हुसैना के नाम की खातेदारी का लम्बे समय तक इन्द्राज होना व मौके पर लम्बे समय से कब्जा होना साबित था, लेकिन उसके बावजूद तहत न्यायालय द्वारा गलत तरीके से 1/2 हिस्से का पटटा रैस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के हक में जारी किये जाने की विधि विरूद्व आज्ञा प्रदान की गयी है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्टान के दस्तावेजी व मौखिक सबूत व मौका रिपोर्ट पर कोई ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय देखने मात्र से विधि विरूद्व है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 5 तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर दर्ज है, और तहसीलदार ने ही पत्रावली का निर्णय किया है, ऐसी स्थिति में स्वंय पक्षकार को मुकदमा किसी भी प्रकरण का निर्णय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है, पारित निर्णय के कैप्शन पोर्शन में अपील विरूध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनाक 08.05.2005 लिखा है। जबकि तहत अदालत द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय की अपील पर फेसला नही दिया गया निर्णय विधि विरूद्व है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.06.2015 निरस्त किया जाकर आराजी खसरा न0 16 रकबा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल-तिजारा (राज0)

1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास का पटटा अपीलान्टान के नाम जारी किया जावे।

रेस्पोडेन्टान बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ, मुताबिक आदेशिका दिनाक 07.05.2024 को स्वंय मम्मनदीन पुत्र समदू उपस्थित हुआ, इसके उपरान्त आदिनाक तक रेस्पोडेन्टान/अभिभाषक उपस्थित नही हुऐ, न ही उनके द्वारा कोई लिखित/मौखिक कथन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचाराधीन पत्रावली पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर से खैरथल–तिजारा नव–जिला सर्जित होने के कारण न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहा विचाराधीन प्रकरण में रेस्पोडेन्टान की ओर से उनके अभिभाषक के द्वारा नियमित रूप से पैरवी की जा रही थी।

रेस्पोडेन्टान बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण उनवानी प्रकरण में वकील अपीलान्टान द्वारा बहस सुने जानें का अनुरोध किया गया। जिस पर वकील अपीलान्टान की एक–तरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.06.2015 के विरूद्ध अपील न्यायालय को दिनांक 22.06.2015 को पेश की गई है। वक्त बहस वकील अपीलान्टान ने मुख्य कथन किया है, किसाबिक आराजी खसरा न0 12 जिसके हाल खसरा न0 16 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वांके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास बने है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता/पति हुसैना सन 1985 से काफी वर्षो पूर्व से काबिज रहकर काश्त करते थे, हुसैना द्वारा आराजी को मेहनत मजदूरी करके, शारीरिक श्रम व पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया, पुराने कब्जे व गरीब व्यक्ति होने के कारण आराजी खसरा न0 साबिक 12 हाल 16 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का पटटा दिनाक 27.12.1985 को हुसैना पुत्र मेदा खॉ के हक में जारी किया गया। हुसैना विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलान्टान हुसैना के जीवनकाल में हुसैना के साथ तथा उनके देहावसान के बाद अपीलान्टान स्वंय विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। कागजमाल में हुसैना का नाम खातेदार की हैसियत से बदस्तूर होता रहा है। दिनाक 27.12.1985 को सनद पटटा दिये जाने के वक्त मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गयी उस वक्त मौके पर हुसैना का कब्जा पाया गया, जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है। हुसैना के देहावसान के बाद विरासत का नामान्तकरण मिन अपीलान्टान के हक में दर्ज व मंजूर हो गया अपीलान्टान खातेदार की हैसियत से काबिज है। तहत अदालत द्वारा वर्तमान निर्णय पारित करने से पूर्व भी नायब तहसीलदार किशनगढबास से मौके की रिपोर्ट तलब की गयी थी, रिपोर्ट दिनाक 30.04.2015 में विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। कस्टोडियन भूमि पर कब्जा अहम बिन्दू है, जिस पर तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पोडेन्टान का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है, पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा भी अपीलान्टान के पति/पिता हुसैना के पटटे को सही माना तथा न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष रेस्पोडेन्टान के द्वारा पेश अपील को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकार किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया है, कि जमाबन्दी सम्वत 2012–2019 में रेस्पोडेन्टान के पिता समदू का नाम दर्ज है, जबकि जमाबन्दी सम्वत 2012–2019 में समदू का कभी भी मौके पर कब्जा नही रहा है। कागजात माल में समदू का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण तथा मौके पर कब्जा नही होने के कारण समदू का नाम आगे की जमाबन्दी में दर्ज नही हुआ। हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्टान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनाक 06.12.2012 को पेश कर माननीय न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.09.2012 का उल्लेख अंकित कर उल्लेख किया गया है, कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णयो को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को रिमाण्ड

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

किया गया है, पारित निर्णय दिनाक 11.09.2012 की पालना में अग्रिम कार्यवाही की जावे। जिस पर प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत द्वारा जर्ये पत्राक 154 दिनाक 06.04.2015 के द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास की मौके की रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 30.04.2015 के द्वारा मौके की रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है, कि आराजी खसरा न0 16 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के आराजी मरियम बेवा हुसैना खा मेव निवासी न्याणा के नाम पर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। मौके पर मरियम व उसके परिवार द्वारा कब्जा/काश्त की जा रही है। मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित व्यक्तियो के हस्ताक्षर कराये गये है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रतित नही होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.06.2015 जिसके द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा न0 16 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा के 1/2 हिस्से की सनद पटटा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के हक में तथा 1/2 हिस्से की सनद पटटा अपीलान्ट के हक में जारी की गयी है निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वर्तमान में प्रचलित दिशा–निर्देश/परिपत्रो की रीशनी में प्रकरण की पुन जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिक प्रावधानुसार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे, पत्रावली फैशल शुमार हो। पत्रावली बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा